राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1786/2010/झुन्झुँनू
मैसर्स गजानंद शिव कुमार
सिंघाना, झुन्झुँनू अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग,बीकानेर प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित
श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक 04.05.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा क्रमांक–पं.4()कर/ उपा–बी/ 10–11/751 पारित निर्णय दिनांक 17.06.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट प्रथम, प्रतिकरापंवचन, झुन्झुँनू (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा करापंवचन के सन्देह में दस्तावेज अभिग्रहित किये गए तथा नोटिस जारी किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 75(8) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर पत्रावली वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन,झुन्झुँनू को वास्ते आदेश प्रेषित की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रकरण का तत्काल निस्तारण करने का निवेदन करने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन,झुन्झुँनू द्वारा दिनांक 17.02.2010 को आदेश पारित करते हुए रू. 77768/–मांग सृजित की गई। इसी दौरान दिनांक 17.02.2010 को ही प्रकरण कम्पोजीशन करवाने हेतु अधिनियम की धारा 68 (1) के अन्तर्गत कम्पोजीशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी ने कम्पोजीशन आदेश पारित होने तक सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को स्थगित रखा गया। अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 17.06.2010 को आदेश पारित कर कम्पोजीशन प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसके द्वारा प्रस्तुत कम्पोजीशन आवेदन को अस्वीकार किया गया है। उनका कथन है सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कम्पोजीश्न प्रार्थना पत्र का अस्वीकार करना नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों की अवहलेना है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा

अपील संख्या 81/2013/जोधपुर मैसर्स शंकर टिम्बर एण्ड हैण्डीक्राफ्ट, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2013 को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि प्रशमन हेतु आवेदन दिये जाने का प्रावधान वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत किया गया है जिसमें किसी व्यवहारी के विरूद्ध करापवंचन के आरोप लगाये जाने के पश्चात् प्रशमन हेतु आवेदन करने का प्रावधान है एवं वेट अधिनियम की धारा 68(2) में उस आवेदन को निस्तारित करने की शक्तियां अपीलीय अधिकारी को दी गयी हैं जिसमें यह प्रावधान है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद यदि कोई कर निर्धारण आदेश लम्बित रहता है या पारित भी कर दिया जाता है तब भी वह प्रशमन कर सकते हैं जबकि इस प्रकरण में प्रशमन हेतु आवेदन पत्र प्रकरण में कर निर्धारण आदेश पारित करने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है अतः वह वेट अधिनियम की धारा 68(2) के तहत श्रवण योग्य नहीं है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के शपथ पत्र के अनुसार उसके व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 17.01.2010 को किया गया था और उसके द्वारा प्रशमन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर यह निवेदन किया गया कि वह प्रकरण का तत्काल निरस्पादन चाहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन,झुन्झुनूँ द्वारा दिनांक 17.02.2010 का आदेश पारित कर मांग सृजित की गई है, जिससे स्पष्ट है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया।

. प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण दिनांक 17.01.2010 को किये जाने के पश्चात् समस्त माल का भौतिक सत्यापन करने हेतु पृथक से सूची तैयार की गई एवं रिकार्ड अभिग्रहीत किया गया। फर्म के लेखाकार द्वारा जो लेखा पुस्तकें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उनमें कोई जमा खर्च नहीं पाया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निवेदन किया गया है कि वह तत्काल प्रकरण का निस्तारण चाहता है, जिसको ध्यान में रखते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 17.02.2010 को आदेश पारित कर रू. 77,768/–की शास्ति आरोपित की गई है।

. कर निर्धारण आदेश के पश्चात् अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वैट नियम 2006 के नियम 74(1) के तहत प्रपत्र वैट–60 में आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2010 को प्रस्तुत किया गया था जिससे यह प्रमाणित है कि सशक्त अधिकारी

के आदेश दिनांक 17.02.2010 के पश्चात् अर्थात् उसी दिन प्रशमन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया था। वेट अधिनियम की धारा 68(1) के तहत प्रशमन का आवेदन किसी शास्ति आरोपण की प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध ही किया जा सकता है अर्थात् शास्ति आरोपित करने के प्रस्तावित नोटिस के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी को आवेदन किया जाना आवश्यक है।

सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी करने पर उसने जवाब के साथ निवेदन किया है कि उसके प्रकरण का निस्तारण तत्काल कर दिया जाये, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, उचित नहीं है।

अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन पर पाया है कि व्यवहारी को सशक्त अधिकारी द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही छुपाई गई/उचन्त बिक्री पर शास्ति आरोपित की है। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 68(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रशमन आवेदन को खारिज किया है, जो उचित है क्योंकि अपील सुनवाई के समय अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ऐसे कोई ठोस दस्तावेजीय साक्ष्य अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश का हस्तक्षेप किया जा सके। फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17.06.2010 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(**खेमराज**)
अध्यक्ष